HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc Suspension Of Sentence Application (Appeal) No. 927/2025

In

S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 2887/2024

Durgesh @ Babu Son Of Rodulal, Resident Of Mayla Police Station Ramganj Mandi, District Kota (At Present Confined In Central Jail, Kota)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through P.P

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. shyam Bihari Gautam
For Respondent(s)	:	Mr. Shri Ram Dhakad, P.P.

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

24/02/2026

अपीलार्थी/अभियुक्त **दुर्गेश उर्फ बाबू** की ओर से विचारण न्यायालय–**विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण व बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, क्रम–5, कोटा** द्वारा विशिष्ट सैशन प्रकरण संख्या–**47/2020, सरकार बनाम दुर्गेश उर्फ बाबू एवं अन्य** में पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक **26.09.2024** के विरूद्ध यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर अर्थदण्ड सहित अधिकतम बीस वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी–अभियुक्त का तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समग्र विवेचन व विश्लेषण किए बिना आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया गया है। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी गिरफ्तारी की दिनांक 23.06.2020 से लगातार न्यायिक अभिरक्षा में है, इस प्रकार उसकी अभिरक्षा अवधि करीब 5 वर्ष 11 माह की हो चुकी है। उनका यह भी निवेदन है कि प्रकरण में गवाहान के बयानों में विरोधाभास है, जिसके संबंध में भी विचारण न्यायालय द्वारा विवेचन एवं विश्लेषण नहीं किया गया है, अतः प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी के दोषमुक्त होने के सुदृढ़ आधार विद्यमान हैं तथा अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना है, अतः सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने प्रार्थना पत्र का विरोध कर, अपराध की गंभीरता को देखते हुए सजा स्थगन प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्ष के तर्कों–वितर्कों पर मनन किया, विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.09.2024 एवं संपूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया। अतः पत्रावली में आई साक्ष्य, अपीलार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि, प्रकरण के तथ्यों, समस्त परिस्थितियों एवं अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः अपीलार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/–रूपए **(अक्षरे पचास हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं 25,000–25000/–रूपए **(अक्षरे पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये)** की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह इस न्यायालय में दिनांक **24.03.2026** को एवं तत्पश्चात् जब भी उसे आदेशित

किया जावे, उपस्थित होता रहेगा, तो अपीलार्थी/अभियुक्त **दुर्गेश उर्फ बाबू पुत्र श्री रोडूलाल** को अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

विचारण न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय के तहत दिए गए दण्डादेश (sentence) का क्रियान्वयन इस अपील के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जाता है।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

MAHESH ADWANI /20